न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 104–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 39/अपील/2005–06.

श्रीमती शैतानबाई पति श्री दीपसिंहजी (मृत के वारिसान :–)
निवासीग्राम शैरपुरा तह.कालापीपल जिला शाजापुर,
(1) ठाकुर रामनाथ सिंह पुत्र दीपसिंह
(2) ठाकुर मानसिंह पुत्र दीपसिंह
(3) ठाकुर शिवनारायणसिंह पुत्र दीपसिंह
निवासीगण ग्राम शैरपुरा तह.कालापीपल जिला शाजापुर,
(4) पेपकुवंर पति कालुसिंह पुत्री शैतानबाई
निवासी तहसील व जिला शाजापुर .....आवेदक

विरूद्ध

1–जगन्नाथ पिता घीसीलालजी
निवासीग्राम शैरपुरा तह.कालापीपल जिला शाजापुर,
2–मटूबाई बेवा मुशीलाल
निवासीग्राम शैरपुरा तह.कालापीपल जिला शाजापुर,
3–मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री एन0एस0सिसौदिया, अभिभाषक–आवेदक
श्री आलोक शास्त्री, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन मालगुजार घीसीलाल द्वारा दिनांक 13–2–1948 को ग्राम शेरपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 345 रकबा 0.574 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 280 रकबा 0.397 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 270/6 रकबा 0.261 हेक्टेयर सर्वे कमांक 264 रकबा 0.355 हेक्टेयर एवं 274 रकबा 0.826 हेक्टेयर का पटटा आवेदिका को दिया गया था तब से वह निरन्तर प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रही है । वर्ष 2000–01 में उसे ज्ञात हुआ कि पटवारी द्वारा उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि अन्य व्यक्तियों को पटटे पर दिये जाने की संभावना है, अतः उपरोक्त भूमियों पर आवेदिका का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–2–2004 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर जिला शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–8–2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–10–2010 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं थे इसलिये उन्हें अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेना आवश्यक थी, परन्तु उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई । इस कारण अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी । तर्क के समर्थन में 2003 आरएन 183 एवं 2013 आरएन 118 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी और अनावेदकगण की ओर से प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं बतलाया गया और न ही जानकारी का स्त्रोत बताया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा विलम्ब के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हुये सीधे गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क के समर्थन में 2004 आरएन 196 एवं 2010 आरएन 54 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(3) दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा साक्ष्य की विवेचना किये बिना आदेश पारित किये गये हैं जो कि बोलते हुये आदेश की परिधि में नहीं आता है । तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 318, 1986 आरएन 96 एवं 1984 आरएन 619 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(4) संहिता की धारा 157 एवं 158 के अन्तर्गत आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी हो गई है, परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं पर बिना विवेचना किये आदेश पारित करने में आवैधानिकता की गई है ।

(5) वर्ष 1948 में जब भारत स्वतंत्र नही हुआ था तब ग्वालियर स्टेट का कानून माल 1984 एवं उसके बाद मध्य भारत टेनेंसी एक्ट एवं जमींदारी समाप्त विधान एवं उसके बाद मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान लागू हुये थे तथा उसके बाद मध्य भारत बना और उसके बाद मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 प्रभावशील हुई और इसकी धारा 158 के अनुसार भी आवेदिका भूमिस्वामी रही है, जिसका उल्लेख पुराना राजस्व अभिलेख सम्बत् 2007 वर्ष 1951 का खसरा एवं पटटा संबत् 2004 वर्ष 1948 के खसरे में निगरानीकर्ता शैतानबाई को दिये जाने का उल्लेख है, इसलिये राजस्व अभिलेख में उसे नाम दर्ज करने का अधिकार है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा श्रीमती शैतानबाई के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के दिये गये पट्टे को सन्देहास्पद माना है और पट्टा संदिग्ध होने के संबंध में उनके द्वारा सकारण निष्कर्ष निकाले गये हैं, परन्तु उनके द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है क्योंकि अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को दुबारा जॉच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा आदेश में जिन आधारों का उल्लेख किया गया है उन्हें देखते हुये अब प्रकरण में किसी प्रकार की कोई जॉच किये जाने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 57 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अब उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता भी अनुविभागीय अधिकारी को नहीं रही है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश का प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने संबंधी अंश निरस्त करते हुये शेष आदेश एवं अपर आयुक्त के आदेश की पुष्टि की जाती है । निगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर